न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 93/2022

1 धर्मपाल पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 किस्मत पुत्री विश्वनाथ।
2 खजान पुत्री विश्वनाथ।
3 बुलकेश पुत्री विश्वनाथ।
4 मनोज पुत्री विश्वनाथ।
5 सन्तोष पुत्री विश्वनाथ।
6 समन्दर सिंह पुत्र विश्वनाथ।
7 सुमित्रा पुत्री विश्वनाथ।
8 सोनू पुत्र विश्वनाथ समस्त जाति मेघवाल निवासीगण इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
9 जसवन्त पुत्र सुमन(सुरेश)।
10 साक्षी पुत्र सुमन(सुरेश)।
11 योगेश पुत्र सुमन(सुरेश) समस्त जाति मेघवाल निवासीगण जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये नाबालिग कुदरती संरक्षक पिता सुरेश जाति मेघवाल निवासीगण जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
12 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये प्रबन्धक शाखा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस्लामपुर।
13 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व आदेश दिनांकित 24.05.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू बमुकदमा
उनवानी अर्जुन बनाम धर्मपाल वगैरह मुकदमा
नम्बर 87/2021

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार मीणा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हेमराज पिलानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 12-4-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2021 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 629 में से 15 फीट चौड़े रास्ते का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट वरवक्त सुनवाई जैल में था। इस कारण विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय में समुचित पैरवी नहीं कर सका हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट दिनांक 31.03.2022 को पत्रावली में शामिल मिसल की गई है जबकि अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 की तामील ही 08.04.2022 को हुई है। स्पष्ट है कि पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया की पालना कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही न्यूनतम दूरी का है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रतिकर राशि जमा करवाई जाकर मौके पर रास्ता चालू किया जा चुका है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया की पालना कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही न्यूनतम दूरी का है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रतिकर राशि जमा करवाई जाकर मौके पर रास्ता चालू किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12-4-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर